



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2124]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932

No. 2124]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2520(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 51 (अ) दिनांक 8 जनवरी, 2008 तथा समय-समय पर संशोधित इस अधिसूचना के तहत औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित एवं अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड, मुम्बई जिसका पंजीकृत पता गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई 400013 में है, ने मैराथन नेक्स्टजेन आई टी बिल्डिंग (बिल्डिंग नं. 7), सर्वेक्षण सं. सीएस सं.2/142, पेनिनसुला कारपोरेट पार्क आफ के सामने, गणपतराव, कदम मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई 400013 में एक औद्योगिक पार्क विकसित किया है;

अब इसलिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 18ग के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड, मुम्बई को उपक्रम के रूप में तथा मैराथन नेक्स्टजेन आई टी बिल्डिंग (बिल्डिंग नं. 7), सर्वेक्षण सं.सीएस सं.2/142, पेनिनसुला कारपोरेट पार्क आफ के सामने, गणपतराव, कदम मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई 400013 पर उक्त उपक्रम द्वारा

विकसित एवं अनुरक्षित एवं प्रचालित परियोजना को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड, मुम्बई द्वारा औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार की मंजूरी प्रदान की गई

1.

(i)	औद्योगिक उपक्रम का नाम	मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड, मुम्बई;
(ii)	औद्योगिक पार्क का स्थान	मैराथन नेक्स्टजेन आई टी बिल्डिंग (बिल्डिंग नं. 7), सर्वेक्षण सं.सीएस सं.2/142, पेनिनसुला कारपोरेट पार्क आफ के सामने, गणपतराव, कदम मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई 400013
(iii)	निर्मित न्यूनतम फर्शी क्षेत्रफल	15,000 वर्ग मीटर
(iv)	प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि	औद्योगिक पार्क (संशोधन) योजना, 2010 में यथा परिभाषित ;
(v)	औद्योगिक प्रयोग के लिए निर्धारित आबंटनीय क्षेत्रफल का प्रतिशत (न्यूनतम)	75 प्रतिशत
(vi)	वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निर्धारित आबंटन योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत (अधिकतम)	10 प्रतिशत
(vii)	प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	30 यूनिटें
(viii)	औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि	01.02.2010

2. औद्योगिक पार्क को स्थानीय प्राधिकरण से प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र की तिथि जो 1 फरवरी, 2010 है, को विकसित माना जाएगा।

3. औद्योगिक पार्क का स्वामी केवल एक उपक्रम होना चाहिए।

4. अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ। (i) में उल्लिखित उपक्रम को तभी उपलब्ध होंगे जब कम से कम तीस यूनिटें। (ii) में उल्लिखित औद्योगिक पार्क में स्थित हो जाएंगी। स्पष्टीकरण - औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या की गणना करने के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति एवं उसके संबद्ध उपक्रमों की सभी यूनिटों को एक यूनिट माना जाएगा।

5. संबद्ध उपक्रम की यूनिटों सहित कोई भी औद्योगिक यूनिट आबंटन योग्य क्षेत्रफल के पचीस प्रतिशत से अधिक का उपभोग नहीं करेगी।

6. अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ इस अधिसूचना के तहत अधिसूचित उपक्रम को ही उपलब्ध होगा तथा न कि किसी अन्य व्यक्ति को जो बाद में अधिसूचित औद्योगिक पार्क

किसी कारणवश विकसित कर सकता है, विकसित करता है तथा प्रचालन करता है अथवा अनुरक्षण करता है तथा प्रचालित करता है।

7. औद्योगिक यूनिटें केवल वही कार्य-कलाप करेंगी जिन्हें औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

8. उपक्रम को औद्योगिक पार्क के लिए अलग खाता-बही रखनी चाहिए तथा नियत तिथि तक आयकर विभाग को अपनी आयकर विवरणी दाखिल करनी चाहिए।

9. यह अधिसूचना अमान्य होगी तथा मैसर्स मैराथन नेक्स्टजेन रियल्टी लिमिटेड ऐसी अमान्यता की किसी भी प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे, यदि

(i) इसके द्वारा दाखिल आवेदन तथा परवर्ती दस्तावेज जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, में गलत सूचना या मिथ्या जानकारी होती है अथवा कुछ वस्तुगत सूचना इसमें नहीं दी गई होती है,

(ii) यह औद्योगिक पार्क के अवस्थान के लिए है जिसके लिए किसी अन्य उपक्रम के नाम में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

10. उपक्रम औद्योगिक पार्क योजना, 2008 के साथ अनुमोदित प्रपत्र आई पी एस-11 में एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों तथा औद्योगिक पार्क स्कीम, 2008 में शामिल की गई शर्तों का उस अवधि के दौरान पालन किया जाएगा जिसके लिए इस

स्कीम के अन्तर्गत लाभ उठाए जाने हैं तथा केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है, यदि उपक्रम किन्हीं भी शर्तों का पालन करने में असमर्थ होता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना प्लान में किसी संशोधन अथवा भविष्य में अभिज्ञान अथवा आवेदक द्वारा किसी वस्तुगत तथ्य को प्रकट न करने से औद्योगिक पार्क का अनुमोदन अमान्य हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 78/2010/फा. सं. 178/100/2008-आई टी ए-1]

रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए-1)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2010

S.O. 2520(E).— WHEREAS the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section(4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes) number S.O. 51(E), dated the 8th January, 2008 and amended from time to time;

AND WHEREAS, M/s. Marathon Nextgen Realty Limited, Mumbai having its registered address at Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 has developed an Industrial Park at Marathon Nextgen Innova IT Building, (Building No. 7), Survey No. CS No. 2/142, Opp. Peninsula Corporate Park Off, Ganpatrao, Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act read with rule 18 C of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies M/s. Marathon Nextgen Realty Limited, Mumbai as an undertaking and the project at Marathon Nextgen Innova IT Building, (Building No 7), Survey No. CS No. 2/142, Opp. Peninsula Corporate Park Off, Ganpatrao, Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400013, being developed and maintained and operated by the said undertaking, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the Schedule appended to this notification.

THE SCHEDULE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Marathon Nextgen Realty Limited, Mumbai

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : M/s. Marathon Nextgen Realty Limited, Mumbai;
- (ii) Location of the Industrial Park : Marathon Nextgen Innova IT Building, (Building No. 7), Survey No. CS No. 2/142, Opp. Peninsula Corporate Park Off, Ganpatrao, Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai.
- (iii) Minimum Constructed Floor Area : 15,000 Square Meters;
- (iv) Proposed industrial activities : As defined in Industrial Park (Amendment) Scheme, 2010;
- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use (minimum) : 75% ;
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use(maximum) : 10% ;
- (vii) Minimum number of industrial units proposed : 30 Units ;
- (viii) Date of commencement of the Industrial Park : 01.02.2010;

2. The Industrial Park shall be construed as developed on the date of commencement certificate from the local authority which is the 1st February, 2010.

3. The industrial park should be owned by only one undertaking.

4. The tax benefits under the Act shall be available to the undertaking mentioned in 1(i) only after minimum numbers of thirty units are located in the Industrial Park mentioned at 1(ii). Explanation.- For the purpose of computing the minimum number of industrial units, all units of a person and his associated enterprises will be treated as a single unit.

3984 GI/10-2

5. No industrial unit, along with the units of an associated enterprise, shall occupy more than twenty-five per cent. of the allocable area.
6. *The tax benefits under the Act shall be available only to the undertaking notified vide this notification and not to any other person who may subsequently develop, develops and operates or maintains and operates the notified industrial park, for any reason.*
7. The Industrial units shall undertake only those activities as specified in Industrial Park Scheme, 2008.
8. The undertaking must keep separate books of accounts for the industrial park and must file its income tax returns by the due date to the Income-tax department.
9. *The notification shall be invalid and M/s. Marathon Nextgen Realty Limited shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if -*
 - (i) the application and subsequent documents furnished by it, on the basis of which the notification is issued by the Central Government contains wrong information or misinformation or some material information has not been provided in it;
 - (ii) it is for the location of the industrial park for which notification has already been issued in the name of another undertaking.
10. The undertaking shall furnish an annual report to the Central Board of Direct Taxes in Form IPS-II approved with the Industrial Park Scheme, 2008.
11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2008 shall be adhered to during the period for which benefits under this notification are to be availed and the Central Government may withdraw the above approval in case the undertaking, fails to comply with any of these conditions.
12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, shall invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No.78/2010/ F. No.178/100/2008-ITA-I]

RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)